न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:— श्री कार्तिकेय मीणा **R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: **57/2020** दायरा दिनांक 19.02.2020

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. भंवरलाल पुत्र खींवाराम 2. रामेश्वरलाल पुत्र खींवाराम 3. हेमाराम पुत्र खींवाराम 4. बिड.दी पत्नि बेगाराम समस्त जाति जाट निवासी गोमथलिया तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)	बनाम्	1. श्रीमान सहायक भू—प्रबंधक अधिकारी (डीडवाना वृत) मुकाम सीकर तह. व जिला सीकर (राज.) 2. श्रीमान भू—प्रबंधक अधिकारी सैटलमेन्ट विभाग सीकर तह. व जिला सीकर (राज.) 3. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना

दावा बाबत्

दावा घोषणा नक्शा रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई

निषेधाज्ञा हस्ब धारा 88,188 राज.काश्त.अधि

उपस्थित:—

1. श्री राजेश कुमार व श्री इस्लामूदीन, अधिवक्ता, वादीगण।
2. प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 अनुपस्थित।

—:: निर्णय ::—

दिनांक 03.01.2022

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वाकै शरहद गोमथलिया पटवार हल्का डाकीपुरा भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र धनकोली में स्थित खेत ख.न. 1158 रकबा 35 ब़ीघा 11 बिस्वा, वादीगण की सामलाती खातेदारी के अवस्थित है।जिसकें नये सैटलमैन्ट के पर्चा व नक्शे में नये ख. न. 128 रकबा 0.16 हैक्टर, ख. न. 129 रकबा 0.05 हैक्टर, ख. न. 130 रकबा 0.01 हैक्टर, ख. न. 131 रकबा 0.03 हैक्टर, ख. न. 132 रकबा 5.51 हैक्टर, बने है। सैटलमैन्ट पर्चा व नक्शा व नकल चालू खतौनी सम्वत 2072—2075 पेश है।

प्रतिवादीगण संख्या [illegible] कर्मचारियो अमीन ने उपरोक्त वर्णित वाकै शरहद [illegible] 1158 [illegible] ख. न. 128 रकबा 35 ब़ीघा 11 बिस्वा, के दक्षिण सींव पर कटाणी [illegible] को कम करते रकबा 0.16 हैक्टर दर्शातें हुए इन वादीगण के खेत की [illegible] पर्चा खतौनी व नक्शा हुए रास्ते की भूमि का गलत अंकन सैटलमेंन्ट के पर्चा खतौनी व नक्शा

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

शीट में दर्ज कर दिया गया है। जिसको वादीगण ने अपने नजरी नक्शा में मार्क बी. से सी. दर्शाया गया है। उक्त नजरी नक्शा इस वाद का अहम भाग है।

सैटलमैन्ट द्वारा खेत ख.न. 1158 रकबा 35 बीघा 11 बिस्वा, के दक्षिण सींव पर कटाणी रास्ता ख. न. 128 रकबा 0.16 हैक्टर पर्चा खतौनी व नक्शा शीट में गलत दर्ज करने पर वादीगण ने एक शिकायत (प्रार्थना–पत्र) ग्राम पंचायत डाकीपुरा में पेश करने पर ग्राम पंचायत डाकीपुरा ने श्रीमान भू–प्रबंधक अधिकारी सैटलमेन्ट विभाग सीकर पत्र भेज कर उक्त पर्चा खतौनी व नक्शा शीट में गलत अंकन रास्ता नजरी नक्शा में मार्क बी. से सी. बाबत दुरूस्ती किये जाने हेतु निवेदन किया मगर आज तक उक्त गलत इन्द्राज को नही हटाया गया है।

वादीगण ने सैटलमैन्ट द्वारा खेत ख.न. 1158 रकबा 35 बीघा 11 बिस्वा, के दक्षिण सींव पर कटाणी रास्ता ख. न. 128 रकबा 0.16 हैक्टर पर्चा खतौनी व नक्शा शीट में गलत दर्ज करने पर बार–बार श्रीमान भू–प्रबंधक अधिकारी सैटलमेन्ट विभाग सीकर को शिकायत (प्रार्थना–पत्र) देने पर अधिकारियो द्वारा मौखिक रूप से उक्त हुई त्रृटी को सुधारने का आश्वासन देने के बाद भी उक्त गलत रास्ते का अंकन पर्चा खतौनी व नक्शे में से नही हटाया गया है।तथा ग्राम पंचायत डाकीपुरा में प्रशासन गॉवो के सगं में शिविर प्रभारी को प्रार्थना–पत्र पेश करने पर तहीलदार से रिपोर्ट मगवाने पर भी उपरोक्त रास्ते की त्रृटी को दुरस्त नही किया गया है उक्त तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट व श्रीमान साहयक भू–प्रबंधक अधिकारी सैटलमेन्ट विभाग सीकर की मौका रिर्पोट वाद पत्र के साथ पेश है।

वादीगण द्वारा पेश नजरी नक्शा में मार्क बी. से सी. तक रास्ता कभी भी मौके पर मौजूद नही रहा है।और ना ही ऐसा कोई रास्ता मौके पर वर्तमान में मौजूद है।तो इस बाबत वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 से सम्पर्क करके उक्त सैटलमैन्ट नक्शे में गलत दर्ज रास्ता दर्शाये गये मार्क बी. से सी.. त्रुटि को सुधार करने का निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 01 ता 02 ने नक्शा रेकर्ड दुरूस्त करने का आश्वासन दिया। परन्तु फिर भी उक्त सैटलमैन्ट नक्शे में वादीगण द्वारा बार–बार प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के पास चक्कर लगाने के बावजूद भी उक्त त्रुटि से दर्ज गलत रास्ता मार्क बी. से सी. में कोई सुधार नही किया है, इस कारण से वादीगण की और से प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह घोषणा नक्शा रेकर्ड दुरूस्ती का वाद पत्र लाना लाजमी होने से वाद घोषणा नक्शा रेकर्ड दुरूस्ती का प्रस्तुत है।

वादीगण व किसी भी व्यक्ति द्वारा मार्क बी. से सी भूमि का कभी भी रास्ता भूमि के रूप में उपयोग व उपभोग नही लिया है और ना ही कोई उक्त कटाणी रास्ता मौके पर मौजूद है। फिर भी राजस्व कर्मचारियो ने बिना मौके की [illegible] लिए ही सैटलमैन्ट नक्शा में मार्क बी. से सी. रास्ता दर्शित कर दिया है।जि[illegible] वादीगण को [illegible] तथा उक्त भविष्य व वर्तमान में काफी क[illegible] गलत इन्द्राज से वादीगण को [illegible] पक्के मकानात सैटलमैन्ट नक्शा में मार्क बी. से सी. [illegible] चारा रखने हेतु पीढियो से बने हुए है।तथा गाये मवेशि के बाधने व [illegible] मार्क बी. से सी. ढेणो के मकान बने हुए है।इसलिए सैटलमैन्ट नक्शा [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.03.16 11:08:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

लाल स्याही से दर्शित रास्ते को हटाया जाना आवश्यक व न्यायसंगत है। तथा प्रतिवादीगण उक्त गलत इन्द्राज की औट में मौके पर नया रास्ता कायम करने की कोशिश में भी है।जिनको जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोकने हेतु यह वाद पत्र वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा का पेश है।

प्रार्थना वादीगण है कि

वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे तथा वाकै शरहद गोमथलिया के खेत ख.न. 1158 रकबा 35 ब़ीघा 11 बिस्वा, के दक्षिण सींव पर कटाणी रास्ता के नये ख. न. 128 रकबा 0.16 हैक्टर दर्शातें हुए वादीगण के खेत खेत ख.न. 1158 रकबा 35 ब़ीघा 11 बिस्वा, की भूमि को कम करते हुए नजरी नक्शा में मार्क बी. से सी. रास्ते की भूमि का अंकन सैटलमैन्ट के पर्चा में दर्ज किया है।जिसको संलग्न नजरी नक्शे में मार्क बी. सें सी. गलत दर्शित किया गया को हटाये जाने की घोषणा की जाकर सैटलमैन्ट के नक्शा व पर्चा खतौनी में रेकर्ड दुरूस्ती सादर फरमाई जावे।तथा मार्क बी. से सी. रास्ता की जमीन ख. न. 132 में समायत की जावे।

स्थाई निषेघाज्ञा बहक वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे कि वाकै शरहद गोमथलिया के खेत ख.न. 1158 रकबा 35 ब़ीघा 11 बिस्वा, के दक्षिण सींव पर कटाणी रास्ता नये ख. न. 128 रकबा 0.16 हैक्टर दर्शातें हुए वादीगण के खेत खेत ख.न. 1158 रकबा 35 ब़ीघा 11 बिस्वा, की भूमि को कम करते हुए नजरी नक्शा में मार्क बी. से सी. रास्ते की भूमि का अंकन सैटलमैन्ट के पर्चा खतौनी व नक्शा में दर्ज किया है, जिसको संलग्न नजरी नक्शा में मार्क बी. से सी. दर्शित किया गया इस मार्क बी. से सी. गलत दर्ज रास्ता को मौके पर उपयोग व उपभोग हेतु कायम ना तो स्वयं करे न ही अन्य कर्मचारी अजेन्ट आदि से करावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 को वास्ते जवाबदेही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित। भू–प्रबंधक अधिकारी सीकर से तत्यात्मक रिपोर्ट हेतु तहरीर पत्र संख्या 314 दिनाकं 19.03.2020 को जारी किया गया।

भू–प्रबंधक अधिकारी सीकर से तत्यात्मक रिपोर्ट पत्र संख्या 80 दिनाकं 10.07.2020 को प्राप्त हुई।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने बहस मुख्यतः उनके दावा पर आधारित रही तथा उन्होंने दावा डिक्री करने का निवेदन किया। बहस पर मनन् किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया।वाकै शरहद [illegible] का डाकीपुरा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र धनकोली में स्थित खेत ख.न.[illegible]58 रकबा 35 ब़ीघा 11 बिस्वा, जिसकें नये सैटलमैन्ट के पर्चा व नक्शे में नये ख. न.

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.03.16 11:08:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

128 रकबा 0.16 हैक्टर, ख. न. 129 रकबा 0.05 हैक्टर, ख. न. 130 रकबा 0.01 हैक्टर, ख. न. 131 रकबा 0.03 हैक्टर, ख. न. 132 रकबा 5.51 हैक्टर, बने है। सहायक भू–प्रबंध अधिकारी सीकर व रेकार्ड फर्द मौका रिपोर्ट दिनाकं 27.02.2018 व मौका फर्द दिनाकं 23.10.2019 पटवारी हल्का डाकीपुरा की व निरिक्षण आमिन की टिप्पणी से प्रतित होता है कि वादीगण द्वारा पेश नक्शा में मार्क बी. से डी. रास्ता को सेवन वश लिपिकिय भूल से रास्ता दर्ज हुआ है।जिसको राजस्व रेकर्ड से हटाया जाना उचित प्रतित होता है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व दस्तावेजो के परिप्रेक्ष्य में वादीगण का दावा डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर, मौजा गोमथलिया पटवार हल्का डाकीपुरा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र धनकोली के कटाणी रास्ता के ख. न. 128 रकबा 0.1600 हैक्टर में से वादीगण द्वारा पेश नजरी नक्शा में मार्क बी से सी गलत दर्ज रास्ता की जमीन 0.800 हैक्टर कम करते हुए वादीगण के मूल खसरा नम्बर 132 के रकबा में जमीन 0.800 हैक्टर समायत की जाकर ख. न. 128 का रकबा 0.800 हैक्टर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें। तथा राजस्व रिकार्ड के नक्शे में लाल स्याही से दर्ज वादीगण द्वारा पेश नजरी नक्शा में मार्क बी. से. डी. गलत रास्ते को हटाये जाने की घोषणा की जाती है तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो। वादीगण द्वारा पेश नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्य भाग रहेगा। इसी अनुरूप डिकी पर्चा भरा जाकर तहसीलदार डीडवाना को तहरीर जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक [illegible] को सरे इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.03.16 11:08:03 IST
Reason: SelfAttested

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना

बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा , R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 57/2020 दायरा दिनांक 19.02.2020

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. भंवरलाल पुत्र खींवाराम 2. रामेश्वरलाल पुत्र खींवाराम 3. हेमाराम पुत्र खींवाराम 4. बिड.दी पत्नि बेगाराम समस्त जाति जाट निवासी गोमथलिया तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)	बनाम्	1. श्रीमान सहायक भू– प्रबंधक अधिकारी (डीडवाना वृत) मुकाम सीकर तह. व जिला सीकर (राज.) 2. श्रीमान भू–प्रबंधक अधिकारी सैटलमेन्ट विभाग सीकर तह. व जिला सीकर (राज.) 3. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना

दावा बाबत्

दावा घोषणा नक्शा रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई

निषेधाज्ञा हस्ब धारा 88,188 राज.काश्त.अधि

दिनांक 03.01.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री,वादीगण के अधिवक्ता उपस्थित व प्रतिवादीगण सं0 01 व 03 अनुपस्थित । मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि–

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, मौजा गोमथलिया पटवार हल्का डाकीपुरा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र धनकोली के कटाणी रास्ता के ख. न. 128 रकबा 0.1600 हैक्टर में से वादीगण द्वारा पेश नजरी नक्शा में मार्क बी से सी गलत दर्ज रास्ता की जमीन 0.800 हैक्टर कम करते हुए वादीगण के मूल खसरा नम्बर 132 के रकबा में जमीन 0.800 हैक्टर समायत की जाकर ख. न. 128 का रकबा 0.800 हैक्टर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें। तथा राजस्व रिकार्ड के नक्शे में लाल स्याही से दर्ज वादीगण द्वारा पेश नजरी नक्शा में मार्क बी. से. डी. गलत रास्ते को हटाये जाने की घोषणा की जाती है तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो। वादीगण द्वारा पेश नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्य भाग रहेगा। तहसीलदार डीडवाना को तहरीर जारी हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.03.16 11:08:03 IST
Reason: SelfAttested

नीज..........–.......... मुबलिग [illegible] बाबत [illegible] ....–..........
.......खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व [illegible] तारीख 03.01.2022 को करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर [illegible] जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प			वकालतनामा		
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	—		महनताना वकील		
महनताना वकील	—		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			थमजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.03.16 11:08:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner